

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. **2nd** Suspension Of Sentence Application
(Appeal) No. 831/2026

In

S.B. Criminal Appeal No.300/2026

1. Balakdas S/o Banshiram, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Kota)
2. Billraj S/o Brijmohan, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Kota)
3. Hukumchand S/o Ramswaroop, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Kota)
4. Balakram S/o Banshiram, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Kota)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amir Aziz with Mr. Navdeep Singh & Mr. Shubham Dular
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Singh Shekhawat, P.P. Mr. Sudarshan Ladha

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

28/04/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बालकदास, बिलराज, हुकमचन्द एवं बालकराम की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2, बून्दी द्वारा सेशन प्रकरण

संख्या—166/2018, सरकार बनाम बालकदास व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 03.02.2026 के विरुद्ध यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 17.04.2026 को दोनों पक्षों को गुणावगुण पर सुनकर प्रस्तुत प्रथम सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जाकर, निरस्त किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण का मुख्य रूप से यह निवेदन है कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

मजरूब/परिवादी पक्ष आज न्यायालय में उपस्थित हैं तथा परिवादी की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता श्री सुदर्शन लढ्ढा का निवेदन है कि समाज के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा करा दिया गया है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में उनके द्वारा लिखित में राजीनामा भी पेश किया जो अभिलेख पर रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के तर्कों—वितर्कों पर मनन किया। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के तथ्यों का अवलोकन किया। अतः प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के तथ्यों, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के

गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **27.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. बालकदास पुत्र श्री बंशीराम, 2. बिलराज पुत्र श्री बृजमोहन, 3. हुकमचन्द पुत्र श्री रामस्वरूप एवं 4. बालकराम पुत्र श्री बंशीराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J